



OFFICE OF THE DEAN, STUDENTS' WELFARE &
INTERNATIONAL STUDENTS' ADVISOR
UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR

(O) 0141-2710497

E-mail: adswuniraj@gmail.com

No. DSW/SWF/2021/12730-78

Dated 09/03/2021

To

1. All the Heads/Directors of the Teaching Departments, University of Rajasthan, Jaipur.
2. All the Principals of the Constituent Colleges, University of Rajasthan, Jaipur.

Dear Sir/Madam,

It is for your kind notice that Student Welfare Fund Committee is inviting applications from the regular UG & PG students of University of Rajasthan for one time financial assistance for the session 2020-21. You are requested to frame a Committee at your level which will call the applications, and forward duly checked and verified applications through you to the office of the Dean, Students' Welfare, University of Rajasthan, Jaipur.

Requirements:

- Application will be only entertained through their Principals/Directors/Heads of the Departments.
- Students should attached the photocopies of the ID present year, mark sheets of the preceding examination, as well as the valid income certificate of their parents, which clearly states that they belong to either B.P.L. group or to a economically poor family.

The application form is enclosed herewith. Xeroxed copy of the application form should be distributed at your level free of cost.

The last date to submit the application forms at your Centre/Institute/Department/College by students is **19th March, 2021**. **Kindly put a notice regarding this at your Centre/ Institute/ Department/College notice board for information to the students.** Please send the list of applicant's alongwith their application forms by **20th March, 2021** to the office of DSW.

Thanking You,

Yours faithfully,



(Dr. Kartar Singh)
Dean, Students' Welfare

No. DSW/SWF/2021/12779-81

Dated 09/03/2021

Copy forwarded to the following for information:

1. The CF&FA, University of Rajasthan, Jaipur.
2. The P.S. to HVC/Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.


(Dr. Kartar Singh)
Dean, Students' Welfare



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

छात्र कल्याण कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

पात्रता : आवेदकों के लिए गत उत्तीर्ण परीक्षा में विज्ञान संकाय में न्यूनतम 60%, वाणिज्य व कला संकायों में न्यूनतम 55% अंक होना आवश्यक है।

1. विद्यार्थी का नाम कुमारी/श्रीमती/श्री
2. पिता/संरक्षक का नाम श्री.....
3. आवेदक का पता, फोन/मोबाइल नम्बर

4. आवेदक का ई-मेल
5. यदि आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है तो माता-पिता/अभिभावक का गरीबी की रेखा का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नम्बर अवश्य लिखें
6. यदि आवेदक आर्थिक आधार पर गरीब परिवार से है तो सक्षम अधिकारी का माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
7. आवेदक स्वयं की बैंक पास बुक की फोटो प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

(अ) बैंक की खाता संख्या एवं बैंक का नाम

(ब) बैंक का आईएफएससी कोड.

8. (अ) वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा व गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत

(अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।)

(ब) संकाय का नाम जिसमें प्रवेश लिया है

(स) कक्षा का नाम जिसमें प्रवेश लिया है।

9. आवेदक को विश्वविद्यालय या किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण लिखें

मैं यह शपथ पूर्णक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचनायें पूर्ण रूपेण सत्य हैं और इसमें किसी भी प्रकार की असत्यता पाई गई तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर मेरे विरुद्ध कोई भी विधि सम्मत कार्यवाही कर सकता है। साथ ही यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में मैंने किसी अन्य स्रोत से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है।

दिनांक :

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

1. विद्यार्थी की कक्षाओं में उपस्थिति का प्रतिशतांश
2. विद्यार्थी के आचरण के मध्य नजर संस्था प्रधान की सिफारिश

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/निदेशक

* उपरोक्त सभी सूचनाएँ विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदत्त की जानी हैं, अन्यथा फॉर्म निरस्त कर दिया जायेगा।